फार्म–अ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)

उपस्थित :– रूबी कुमारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय मुजफ्फरपुर, (पश्चिमी) ।

निर्णय की तिथि : 20.07.2026

परिवाद पत्र संख्या–1037 / 2006

आरोप अन्तर्गत धारा– 147,323,379 भा0द0सं0

परिवादी	मो0 गुफरान, पिता–स्व0 मो0 सफीक ग्राम– भिखनपुर सैफ, थाना–मनियारी, जिला–मुजफ्फरपुर।
परिवादी के अधिवक्ता	मो0 इस्लाम।
अभियुक्तगण	1.मो0 एजाज, पिता– स्व0 मो0 सफीक, उम्र– 71 वर्ष। 2.मो0 नजरे आलम, पिता– स्व0 मो0 सफीक, उम्र– 56 वर्ष। 3.मो0 हारुन, पिता–स्व0 मंजूर आलम, उम्र– 70 वर्ष। 4.मो0 एजाजूल, पिता–स्व0 मो0 नसरुद्दीन उर्फ बतहा, उम्र– 52 वर्ष। सभी साकिन– मौना, थाना–रुन्नी सैदपुर, जिला–सीतामढ़ी।
प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता	मो0 ताजूउद्दीन।

फार्म–ब

अपराध की तिथि	06.09.2006
परिवाद की तिथि	07.09.2006
आदेशिका जारी करने की तिथि	22.11.2007
आरोप गठन की तिथि	24.07.2015
साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	07.08.2015
निर्णय हेतु सुरक्षित रखने की तिथि	14.07.2026
निर्णय की तिथि	20.07.2026
दंडादेश की तिथि	**NA**

अभियुक्तों का विवरण

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त–1	अभियुक्त–2	अभियुक्त–3	अभियुक्त–4
अभियुक्त का नाम	मो0 एजाज	मो0 नजरे आलम	मो0 हारुन	मो0 एजाजूल
गिरफ्तारी की तिथि	NA	NA	NA	NA
जमानत पर मुक्त होने की तिथि	29.04.2013	29.04.2013	29.04.2013	29.04.2013
आरोप की धाराएँ	147,323,379 भा0द0सं0	147,323,379 भा0द0सं0	147,323,379 भा0द0सं0	147,323,379 भा0द0सं0
निर्णय	दोषमुक्त	दोषमुक्त	दोषमुक्त	दोषमुक्त
दण्डादेष	NA	NA	NA	NA
धारा–428 द0 प्र0 सं0 से संबंधित विवरणी	NA	NA	NA	NA

फार्म–स

अभियोजन, प्रतिरक्षा एवं न्यायालय सक्षियों की सूची

क–अभियोजन / परिवादी

क्रमांक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
C.W.-1	नगीना खातुन	परिवादी की पत्नी
C.W.-2	मो0 गुफरान	परिवादी
C.W.-3	इशरत खातुन	परिवादी की पुत्री

ख–प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई है : नहीं

क्रमांक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
D.W.-1	NA	NA

ग–न्यायालय के साक्षी, यदि कोई है : नहीं

क्रमांक	**नम**	**(साक्ष्य की प्रकृति)** (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच

		साक्षी, अन्य साक्षी)
C.W.-1	NA	NA

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क–अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	NA	NA

ख–बचाव पक्ष–प्रवर्तनीय नहीं

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	NA	NA

ग–न्यायालय प्रदर्श–प्रवर्तनीय नहीं

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	NA	NA

घ– वस्तु प्रदर्षः–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	NA	NA

निर्णय

1. अभियुक्तगण 1.मो0 एजाज, 2.मो0 नजरे आलम 3.मो0 हारुन 4. मो0 एजाजूल का विचारण धारा– 147,323,379 भा0द0सं0 में किया जा रहा है।

2. परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी के परिवाद पत्र के आधार पर मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.09.2006 समय करीब 5 बजे शाम को सभी अभियुक्त परिवादी के घर पर आए और 50 हजार रुपया रंगदारी की मांग करने लगे। जब परिवादी ने विरोध किया तो सभी मुदालह गाली–गलौज वो मारपीट करने लगे। परिवादी की पत्नी, पतोहू तथा लड़की बचाने आई तो इनलोगों को भी थप्पड़–मुक्का से मारपीट कर जख्मी कर दिया। अभियुक्त मो0 एजाज ने परिवादी की पत्नी नगीना खातुन के गले से चांदी की सिकड़ी (कीमत करीब दो हजार रुपया) छीन लिया तथा अभियुक्त मो0 नजरे आलम ने परिवादी की लड़की के गले से सोने की सिकड़ी

(कीमत करीब दस हजार रुपया) छीन लिया। मो0 हारुन एवं मो0 एजाजुल परिवादी के घर में घुसकर बक्सा से करीब दो हजार रुपया नगद एवं पॉच हजार का चांदी का जेवर ले लिया। ग्रामिणों के आने पर सभी अभियुक्त जान मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

3. उपर्युक्त परिवाद दिनांक 07.09.2006 को न्यायालय में पंजीकृत की गई। जांच साक्ष्य के उपरांत परिवाद पत्र में नामित चार अभियुक्तों 1. मो0 एजाज, 2.मो0 नजरे आलम 3.मो0 हारुन 4.मो0 एजाजूल के विरूद्ध दिनांक 22.11.2007 को धारा 147,323,379 भा0द0सं0 के अंतर्गत विचारण के लिए आहूत किया गया।

आरोप

4. दिनांक 24.07.2015 को उपरोक्त चार अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147,323,379 भा0द0सं0 के अंतर्गत अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इंकार किया और विचारण का दावा किया।

5. न्यायालय के द्वारा इस वाद में दिनांक–28.10.2024 को साक्ष्य बंद किया गया एवं दिनांक 25.05.2026 को अभियुक्तों का बयान धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत दर्ज किया गया जिसमें, अभियुक्तों ने अपने आप को निर्दोष बताया।

6. इस मामले में एक मात्र बिन्दु यह निर्णित करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये अभियोगों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

परिवादी साक्ष्य

7. इस वाद में परिवादी की ओर से आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष कुल तीन गवाह 1.नसीमा खातुन 2.मो0 गुफरान एवं 3.इशरत खातुन सभी को प्रस्तुत किया गया, किन्तु आरोप पश्चात् साक्ष्य में केवल मो0 गुफरान का ही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किन्तु इनकी गवाही भी पूर्ण नहीं हो पाई। अतः मैं साक्ष्य की परिशीलन प्रारंभ करती हूं।

परिवादी साक्षी संख्या– 1 नसीमा खातुन हैं अपने मुख्य परीक्षण में, इस केस के मुदई मेरे पति ने यह मुकदमा सभी नामित अभियुक्तों पर किया है। घटना सात वर्ष पूर्व 5 बजे शाम की है। मैं और मेरे पति घर पर थे, तभी सभी मुदालह आकर मेरे पति को मारने लगे और 50 हजार रूपये की मांग करने लगे। मैं और मेरी बहू समिना खातुन, लड़की इशरथ बचाने आई

तो मेरे गर्दन से नजरे आलम चॉदी का सिकड़ी और मेरी लड़की के गले से सोने का सिकड़ी ऐजाज ने छीन लिया। मो0 एजाजूल और हारून पेटी तोड़कर दो हजार रुपये की जेवर ले गए। सभी अभियुक्तों को पहचानती हूं।

वहीं आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के पारा–3 में, हमलोग केस करने थाना नहीं गए थे, बल्कि सरपंच के यहॉ गए थे। पारा–4 में, नजरे आलम मेरे पति के सगे भाई हैं। मेरे पति अपने ससुराल में पिछले 20 वर्षों से बसे हुए हैं। पारा–5 में, नजरे आलम एवं मेरे पति के पिता एवं मॉ दोनों एक हीं हैं।

प्रस्तुत वाद में साक्षी आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

<u>परिवादी साक्षी संख्या– 2 मो0 गुफरान</u> हैं अपने मुख्य परीक्षण में, घटना दिनांक 06.09.2006 की 5 बजे शाम की है। मैं अपने दरवाजा पर बैठा था नजरे आलम, ऐजाज, हारून, ऐजाजुल कुल 6 व्यक्ति आकर मुझसे 50 हजार रुपया रंगदारी की मांग करने लगे। नहीं देने पर मुदालह मेरे साथ मारपीट किए तथा मेरी बेटी इशरत खातुन से सोने का चैन नजरे आलम ने छीन लिया। ऐजाज आलम ने मेरी पत्नी से चॉदी का सिकड़ी छीन लिया। अलमारी का ताला तोड़कर 10 हजार रुपये का सामान मुदालह ले गए। मेरी पत्नी, पतोहू एवं बेटी के साथ भी मारपीट किया।

वहीं आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के पारा–3 में, मुदालह एजाज एवं नजरे आलम मेरी मॉ के ही संतान हैं और उनकी जायदाद से मुझे भी सरोकार है।

वहीं आरोप पश्चात प्रतिपरीक्षण के पारा–4 में, मुदालह मो0 एजाज मेरा सहोदर भाई है। मेरा जन्म सीतामढ़ी में हुआ है और मैं पिछले 21 सालों से मनियारी में रह रहा हूं। मेरा ससूराल और ननिहाल दोनों भिखनपुरा सैफ में है। भिखनपुरा सैफ से मेरा जन्म स्थान मौना गॉव 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मौना गॉव में भी मेरा जमीन जायदाद है। उसी जमीन के रास्ते को लेकर झंझट हुआ है। न्यायालय के द्वारा अभी बॅटवारा नहीं हुआ है। पारा–5 में, मेरा भाई सीतामढ़ी में केस किया है, जिसमें मैं मुदालह हूं। पारा–6 में, कौन आदमी किस चीज से मारे मैं नहीं बता सकता हूं। मारपीट का कोई जख्म नहीं हुआ था और न ही मैंने कहीं ईलाज करवाया था।

<u>परिवादी साक्षी संख्या– 3 इशरत खातुन</u> हैं अपने मुख्य परीक्षण में, घटना 7 से 8 साल पहले शाम 5 बजे की है। मो0 ऐजाज, मो0 नजरे आलम, मो0 हारून, मो0 एजाजूल एवं दो अज्ञात आकर मेरे पिता से 50

हजार रुपया रंगदारी की मांग किए। पिताजी मना किए तो मुदालह घर में घुसकर पिता को मारे। मैं, मेरी मॉ नगीना खातुन, भाभी शमीना खातुन बचाने गई तो, हमलोगों को भी मुदालह मारे। मेरे गले से नजरे आलम ने 10 हजार का सोने का चैन छीन लिया और मो0 एजाज एवं हारून मेरी माँ का चॉदी का चैन ले लिया, जो 20 हजार रुपया का था। मुदालह घर से बक्सा लेकर चले गए, जिसमें 5 से 6 हजार रुपये का गहना एवं दो हजार रुपया था। लोग जुटे तो मुदालह भाग गए। मैं अभियुक्तों को पहचानती हूं।

वहीं आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के पारा–3 में, मुदालह से हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। मुदालहों की जमीन जायदाद से हमें कोई सरोकार नहीं है।

प्रस्तुत वाद में साक्षी आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

प्रतिरक्षा साक्ष्य

8. बचाव पक्ष की ओर से इस वाद में न तो मौखिक और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

मंतव्य

9. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का परिशिलन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परिवादी की ओर से अपने मामले के समर्थन में परिवादी के अलावे दो साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया, किन्तु निम्न साक्षी आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके साथ ही परिवादी स्वयं भी आरोप पश्चात साक्ष्य में प्रस्तुत हुए, किन्तु उनकी गवाही पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। अतः उनकी गवाही के लिए न्यायालय के द्वारा बार–बार आदेश दिया गया, किन्तु इसके बावजूद भी परिवादी आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जहॉ आरोप पूर्व साक्ष्य का अवलोकन किया जाता है, तो उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षियों द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो परिवादी के आरोप को अभियुक्तों के विरुद्ध साबित कर पाए। चूंकि, परिवादी के आरोप पश्चात साक्ष्य के पारा–4 एवं 6 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष आपस में भाई हैं और निम्न विवाद मुख्य रूप से रास्ते को लेकर है। इस प्रकार परिवादी उपरोक्त नामित अभियुक्तों पर लगाए गए किसी भी आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे हैं।

<u>आदेश</u>

10. अतः अभियुक्तगण 1.मो0 एजाज, 2.मो0 नजरे आलम 3.मो0 हारुन 4. मो0 एजाजूल को धारा 147, 323, 379 भा0द0सं0 के अन्तर्गत संदेह के अधार पर **दोषमुक्त** किया जाता है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूओं का बंधपत्र का दायित्व अगले 6 माह के लिए विस्तारित किया जाता है जिससे इस निर्णय के विरूद्ध अपिल या पुनरीक्षण होने पर अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

आज दिनांक 20.07.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में अभियुक्तों की उपस्थिति में सुनाया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं
शुद्धिकृत किया गया।

ह0/–
(रूबी कुमारी)
अ0 मु0 न्या0 दण्डा0 तृतीय
मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)
20.07.2026

मेरे द्वारा उद्घोषित एवं
हस्ताक्षरित किया गया।

ह0/–
(रूबी कुमारी)
अ0 मु0 न्या0 दण्डा0 तृतीय
मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)
20.07.2026